



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 6976/2023

Jai Venkatesh Concast Pvt. Ltd, Through The Authorised Signatory, Mr. Harshverdhan Perjapati, Office At Bamunara, Industrial Area, Gopalpura Road, Durgapur, West Bengal- 110017.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Rajesh Pareek, Authorised Representative Of Sri Krishna Rolling Mill Ltd., Residing At 50, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur (West), Rajasthan.

-----Respondents

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 4838/2023

Narayan Prakash Rathi Son Of Shri Look Karan Rathi, Aged About 58 Years, Resident Of 303, Shekhar Pride, 11/12/1 South Tukoganj, Indore (Madhya Pradesh).

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Rajesh Pareek, Resident Of 50, Shilp Colony, Jhotwara, Jaipur (Raj). Authorized Representative Of Shree Krishna Rolling Mills Jaipur Limited, Registered Office 37 Industrial Area, Jhotwara, Jaipur (Raj).

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Umang Gupta Mr. Tarang Gupta Ms. Anjali Choudhary Mr. Bhawani Saini Mr. Deepak Verma
For Respondent(s)	:	Mr. A.K.Gupta, PP Mr. Harsh wardhan Katara (R.2)

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/03/2026



ये दो पृथक-पृथक याचिकाएं याचीगण/अभियुक्तगण ने पुलिस थाना झोटवाड़ा जिला जयपुर पश्चिम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 732/2022 को रद्द एवं निरस्त करवाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। दोनों याचिकाएं एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित होने से इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान ने प्रकट किया है कि प्रकरण में याची/अभियुक्त जय वेंकटेश से पूर्णतः समझौता हो चुका है तथा नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

दोनों याचीगण के विद्वान अधिवक्तागण ऐसी स्थिति में इन याचिकाओं को चलाना नहीं चाहते हैं तथा इस आशय की स्वतंत्रता चाहते हैं कि भविष्य में अवसर उत्पन्न होने पर पुनः याचिका पेश कर सकेंगे।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण के उक्त कथनों के प्रकाश में वांछितानुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा ये दोनों याचिकाएं सारहीन होने से निरस्त की जाती हैं। विविध प्रार्थना-पत्र यदि कोई लम्बित हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J